न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वादपत्र संख्या - 36/2017
दायरा दिनांक - 24.04.2017
निर्णय दिनांक - 25/3/2021

उनवान

1. हीरा पुत्र झल्ला
2. रामशरण पुत्र झल्ला
3. देवकरण पुत्र सूण्डा
4. लट्टाराम पुत्र सूण्डा
5. सन्तराम पुत्र सूण्डा
6. गल्लाराम पुत्र सूण्डा
7. रामकरण पुत्र श्रीया
8. किशोर पुत्र श्रीया
9. पतराम पुत्र श्रीया
10. बनवारी पुत्र श्रीया
11. जगदीश पुत्र श्रीया
12. रामरतन पुत्र गुरजी
13. रामशरण पुत्र गुरजी
14. मोहरसिंह पुत्र गुरजी (वादी सं0 12 लगायत 14 काबिज वारीस मृतक मांगेलाल पुत्र रूपा गलत नाम रामचन्द्र पुत्र रूपा)

समस्त जातियान गुर्जर निवासियान ग्रांम छीण्ड तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

-- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर
2. तहसीलदार बानसूर, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. वादीगण - श्री चेतराम गुर्जर एड.
2. प्रतिवादीगण - पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.29 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 हैक्ट., वाके मौजा छीण्ड क्रमशः साबिक खसरा नम्बर 1017 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 1020 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा छीण्ड तहसील बानसूर से बन्दोबस्त संवत 2060 में बने है। विवादित आराजी वादीगण की बुजूर्गानी कब्जेकाश्त व खातेदारी की आवंटन सुदा भूमि है जिस बावत गैर खातेदारी इन्तकाल संख्या 551 व खातेदारी इन्तकाल संख्या 703 प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किये जाकर यह भूमि कागजात में दर्ज की गई है किन्तु गैर खातेदारी का इन्तकाल दर्ज करते समय ना तो हम वादीगण की जाति दर्ज की गई और ना ही हमारे हिस्सेजात अंकित किये गये तथा आवंटन खातेदार सूण्डा पुत्र लालजी के अलावा शेष आवंटी खातेदारो के नाम व पिता के नाम भी राजस्व कर्मचारियो ने दर्ज इन्तकाल गैर खातेदारी दर्ज करते समय गलत दर्ज कर दिये जिस कारण आज दिन भी उपरोक्त गलतियां राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है जिस कारण हम वादीगण के पक्ष में हमारे उपरोक्त बुर्जुगो के जो कि इस भूमि के आवंटी खातेदार थे की विरासत का इन्तकाल भी नही हो पा रहा है। मूलतः यह भूमि वादी संख्या 01 व 02 जो कि दोनो सगे भाई है तथा जिनके पिता का नाम झल्ला है, को बहिस्सा बराबर में 1/4 भाग आवंटन की गई है किन्तु दोनो सगे भाईयो को ही आपस में पिता-पुत्र अंकित कर दिया जो कतई गलत व मनमाना इन्द्राज है और इसी कदर आवंटी श्रीया के पिता का नाम भी गलत तरीके से जाहरा दर्ज कर दिया जबकि आवंटी श्रीया के पिता का नाम रामचन्दर था और रामचन्दर दर्ज करना चाहिए था। इसी कदर आवंटी मांगेलाल पुत्र रूपा के स्थान पर रामचन्दर पुत्र रूपा गलत अंकित कर दिया जो गलत इन्द्राज आज दिन भी इसी कदर चला आ रहा है। जिस गलत नाम व हिस्सेजात व गलत पिता के नाम के कारण हम वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रभावित होने का अंदेशा है। अतः ऐसी सूरत में काबिज वारीसान द्वारा यह दुरूस्ती का दावा पेश [illegible] है। मांगेलाल पुत्र रूपा जिसका की आवंटन में गैर खातेदारी इन्तकाल [illegible] रामचन्दर पुत्र रूपा अंकित किया गया है के काबिज वारीसान [illegible] है तथा इस आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

के 1/4 भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इस तरह से विवादित आराजी के 1/4 भाग पर वादी संख्या 01 व 02 जो कि मूल आवंटी है काबिज होकर काश्त कर रहे है। सूण्डा आवंटी की फोतदगी के बाद उसके काबिज वारीसान उसके पुत्र वादी संख्या 03 लगायत 06 बहिस्सा बराबर मे हिस्सा 1/4 पर व आवंटी श्रीया पुत्र जाहरा वास्तविक पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर उसके काबिज वारीसान वादी संख्या 07 लगायत 11 बहिस्सा बराबर में 1/4 भाग पर व आवंटी मांगेलाल गलत नाम रामचन्दर पुत्र रूपा के स्थान पर उसके बिला सन्तान फौत होने पर उसके भतीजे (गुरजी पुत्र गंगाराम के काबिज वारीसान) वादीगण संख्या 12 लगायत 14 बहिस्सा बराबर में 1/4 भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और इसी कदर खातेदारी भी प्राप्त करने के अधिकारी है मौजूदा गलत इन्द्राजात को वादीगण के हकूको के प्रति बातिल व बेअसर करार दिया जाकर उन्हे (वादीगण) को इस भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आवंटित भूमि के नामान्तकरण संख्या 551 में दर्ज नामो की दुरूस्ती कराना चाहते है। न्यायालय श्रीमान द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी नियमानुसार पालना की जावेगी।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.29 हैक्ट., खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 वाके मौजा छीण्ड के नामान्तकरण गैर खातेदारी व खातेदारी एवं उनके आधार पर किये गये गलत इन्द्राजात यथा नाम, पिता का नाम, हिस्सेजात दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

--जिम्मेवादीगण

(2) अनुतोष

तनकी नं. 01 सिद्ध करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने तनकी नं. 1 के संदर्भ में स्वयं वादी सं. 01 हीरालाल व साक्षी रामसिंह, रामकरण, रामरतन के शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान दर्ज करायें। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी संख्या 2072-75 वाकै ग्राम छीण्ड, प्रदर्श-2 कार्यालय ग्राम पंचायत छीण्ड द्वारा प्रमाण पत्र, प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, प्रदर्श-4 नकल जमाबंदी नकल जारी दिनांक 27.05.2015, प्रदर्श-5 नकल जमाबंदी नकल जारी दिनांक 27.05.2015, प्रदर्श-6 नकल जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

संवत 2044, प्रदर्श-7 नकल जमावंदी संवत 2039, प्रदर्श-8 नकल जमावंदी संवत 2035, प्रदर्श-9 जमावंदी संवत 2072-75, प्रदर्श-10 नकल जमावंदी संवत 2075 पेश किये है।

पत्रावली दिनांक 12.02.2021 को मौके पर तलव की गई। आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.29 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 हैक्ट., वाके मौजा छीण्ड के खातेदारो के संवंध में मेरे द्वारा मौके पर जांच की गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट जमावंदी में दर्ज हीरा पुत्र रामशरण का इन्द्राज गलत है, ये दोनो पिता-पुत्र न होकर दोनो भाई है जिनके पिता का नाम झल्ला उर्फ झलिया था। अन्य खातेदारान श्रीया, सुण्डा के जमावंदी इन्द्राज में जाति और हिस्सा दर्ज नही है। गांव के मौजिज लोगो ने इनकी जाति गुर्जर एवं हिस्सा 1/4-1/4 होना जाहिर किया। चतुर्थ खातेदार का नाम रामचंद्र पुत्र रूपा दर्ज है जो कि गलत है। सही इन्द्राज मांगीलाल पुत्र रूपा होना चाहिये था तथा अव इसके वारीसान रामरतन, रामशरण एवं मोहरसिंह पुत्र गुरजी दर्ज किया जाये। मांगीलाल के ना औलाद फौत हो जाने के कारण मांगीलाल के हिस्से की अन्य भूमि भी रामरतन, रामशरण एवं मोहरसिंह पुत्र गुरजी के नाम दर्ज हुई है। प्रकरण में श्रीया उर्फ श्रीराम की पुत्रियों को पक्षकार नही वनाया गया है इनकी पुत्री असरो, वर्फी की तरफ से एक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमे हमारे पिता की उपरोक्त आराजी में से हिस्सा नही चाहिये। यह दावा हमारे भाईयो की नाम से डिक्री कर दिया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है, ना ही हम किसी प्रकार का कोई उज्र करेंगे।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलव्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1235 रकवा 0.29 हैक्ट. साविक खसरा नम्बर 1017 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा व आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 हैक्ट. साविक खसरा नम्बर 1020 रकबा 2 वीघा 2 विस्वा वाके मौजा छीण्ड सं0 2060 के बन्दोवस्त के दौरान वने है उक्त विवादित आराजी साविक खसरा नम्ब्र 2035 की जमावंदी अनुसार जर्ये नामान्तकरण सं0 551 से वादीगण/उनके बुजूर्गान के गैर खातेदारी दर्ज हुई है तथा ना0 सं0 703 से खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त नामान्तकरणो तथा जमावंदी सं0 2035, 2039, 2044 में हीरालाल पुत्र रामशरण, सुण्डा पुत्र लालजी, श्रीया पुत्र जाहरा, रामचन्द्र पुत्र रूपा ही दर्ज रिकार्ड है। उक्त अंकन करते समय ही वादीगण सं0 1, 2 का नाम हीरा, रामशरण पि0 झल्ला उर्फ झलिया के स्थान पर हीरा पुत्र रामशरण, मांगीलाल पुत्र रूपा के स्थान रामचन्द्र पुत्र रूपा गलत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार सुण्डा पुत्र लालजी, श्रीया पुत्र जाहरा खातेदार की जाति गुर्जर तथा हिस्सा ¼-¼-¼-¼ अंकित नही किया गया जबकि खातेदारो को हीरा, रामशरण पुत्रान

झल्ला उर्फ झलिया हिस्सा ¼, सुण्डा पुत्र लालजी, ¼ श्रीया पुत्र रामचन्दर हि0 ¼ तथा मांगीलाल (गलत नाम रामचन्दर) पुत्र रूपा हि0 ¼ जातियान गुर्जर दर्ज करना चाहिये था जो कि ग्राम पचायत छीण्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा इन खातेदारो की अन्य आराजी भूमि हाल जमाबंदी खाता संख्या 04, 06, 110 वाके मौजा छीण्ड से बखूबी सावित होता है। चूंकि खातेदार सूण्डा, श्रीया तथा मांगीलाल (गलत नाम रामचन्दर) की मृत्यु हो चुकी है तथा सुण्डा के विधिक वारीसान वादी सं0 03 लगायत 06 व श्रीया उर्फ श्रीराम के विधिक वारीसान वादी सं0 07 लगायत 11 है तथा मांगीलाल (गलत नाम रामचन्दर) लाऔलाद फौत हो जाने से उनकी अन्य खातेदारी भूमि भी उनके भाई गुरजी के पुत्रो वादी सं0 12 लगायत 14 के नाम दर्ज हुई है अर्थात मांगेलाल के ये ही विधिक वारीसान है। श्रीया की पुत्रियो को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। फिर भी उनकी पुत्रियो द्वारा अपने पिता की उक्त सम्पति हिस्सा नही लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। उक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.29 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 हैक्ट., वाके मौजा छीण्ड तहसील बानसूर हीरा, रामशरण पुत्र झल्ला उर्फ झलिया हि0 1/4 देवकरण, लटटाराम, सन्तराम, गल्लाराम पि0 सूण्डा हि0 1/4, रामशरण, किशोर, पतराम, वनवारी, जगदीश पि0 श्रीया उर्फ श्रीराम हि0 1/4 व रामरतन, रामशरण, मोहरसिंह पुत्र गुरजी हि0 1/4 जातियान गुर्जर निवासीयान छीण्ड तहसील बानसूर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

आज दिनांक 25/3/21 को मेरे निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व वादपत्र संख्या - 36/2017
दायरा दिनांक - 24.04.2017
निर्णय दिनांक - 25/3/21

उनवान

1. हीरा पुत्र झल्ला
2. रामशरण पुत्र झल्ला
3. देवकरण पुत्र सूण्डा
4. लट्टाराम पुत्र सूण्डा
5. सन्तराम पुत्र सूण्डा
6. गल्लाराम पुत्र सूण्डा
7. रामकरण पुत्र श्रीया
8. किशोर पुत्र श्रीया
9. पतराम पुत्र श्रीया
10. बनवारी पुत्र श्रीया
11. जगदीश पुत्र श्रीया
12. रामरतन पुत्र गुरजी
13. रामशरण पुत्र गुरजी
14. मोहरसिंह पुत्र गुरजी (वादी सं0 12 लगायत 14 काबिज वारीस मृतक मांगेलाल पुत्र रूपा गलत नाम रामचन्द्र पुत्र रूपा)

समस्त जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम छीण्ड तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

-- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर
2. तहसीलदार बानसूर, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. वादीगण - श्री चेतराम गुर्जर एड.
2. प्रतिवादीगण - पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

-:पर्चा डिक्री:-

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.29 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.53 हैक्ट., वाके मौजा छीण्ड तहसील बानसूर हीरा, रामशरण पुत्र झल्ला उर्फ झलिया हि0 ¼, देवकरण, लटटाराम, सन्तराम, गल्लाराम पि0 सूण्डा हि0 1/4, रामशरण, किशोर, पतराम, बनवारी, जगदीश पि0 श्रीया उर्फ श्रीराम हि0 ¼ व रामरतन, रामशरण, मोहरसिंह पुत्र गुरजी हि0 ¼ जातियान गुर्जर निवासीयान छीण्ड तहसील बानसूर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 25/3/21..... को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner